

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-स. 3(3)(2) स्था/मंत्रा./अभि./2018/पार्ट-1/ 913-47

दिनांक:- 21/11/2019

-:: आदेश ::-

अभियोजन विभाग में अत्यधिक संख्या में कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त होने के कारण सेवानिवृत्त मंत्रालयिक सेवा के कार्मिको को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.11/94 दिनांक 08.02.2018 में वर्णित शर्तों के अनुसार नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है इसलिये उच्च पद से सेवानिवृत्त कार्मिक की, यदि निम्न पद पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पर पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से सम्बन्धित सेवा के निम्नतम पद के लिये निर्धारित ग्रेड-पे से ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड-पे के अनुसार (परिशिष्ट-क) समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कालम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर तुरन्त प्रभाव से संविदा पर अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	आवेदक का नाम	सेवानिवृत्ति से पूर्व का पद एवं विभाग	जन्म तिथि	कार्यालय जहाँ नियुक्ति की जानी है।	वि.विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	श्री मंगल सिंह झाला	वरिष्ठ मुसरिष्ठ न्याय विभाग	12.10.56	एडीपी अजमेर	प्रथम बार
2.	श्री सोहन लाल तालापा	सहायक प्रशासनिक अधिकारी, गृह रक्षा विभाग	01.06.58	एडीपी अजमेर	प्रथम बार
3.	श्री अमर सिंह जाटव	रीडर, न्याय विभाग	01.07.57	एडीपी अजमेर	प्रथम बार
4.	श्री अर्जुन लाल बुनकर	सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन विभाग	15.05.58	एडीपी जयपुर देहात	प्रथम बार
5.	श्री पूरण सिंह	सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग	05.12.57	एडीपी जयपुर देहात	प्रथम बार
6.	श्री वीरभद्र सिंह पंवार	सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन विभाग	29.08.58	एडीपी डूंगरपुर	प्रथम बार
7.	श्री सीताराम राव	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन विभाग	14.07.58	एडीपी जयपुर शहर प्रथम	प्रथम बार
8.	श्री रणजीत सिंह यादव	बीमा पर्यवेक्षक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग	28.11.54	एडीपी द्वितीय जयपुर	प्रथम बार
9.	श्री पदमाराम	वरिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	01.07.57	एडीपी सिरौही	प्रथम बार
10.	श्री लक्ष्मण लाल	कनिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	13.03.58	एडीपी सिरौही	प्रथम बार
11.	श्री खूबीराम टेवटियों	शीघ्र लिपिक, न्याय विभाग	08.08.56	एडीपी भरतपुर	प्रथम बार
12.	श्री सरदाराम डांगी	वरिष्ठ रीडर, न्याय विभाग	05.06.57	एडीपी जोधपुर	प्रथम बार
13.	श्री दिनेश चन्द पाण्डेय	प्रशासनिक अधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग	20.03.57	एडीपी जोधपुर	प्रथम बार
14.	श्री हनुमान सिंह तंवर	वरिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	08.06.54	एडीपी जोधपुर	प्रथम बार

15.	श्री प्रतापमल बैरवा	बीमा पर्यवेक्षक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग	08.07.58	एडीपी टोंक	प्रथम बार
16.	श्री रामस्वरूप माली	वरिष्ठ रीडर, न्याय विभाग	08.07.58	एडीपी टोंक	प्रथम बार
17.	श्री प्रकाश चन्द भट्ट	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन विभाग	02.07.58	एडीपी भीलवाडा	प्रथम बार
18.	श्री बिरधी लाल नागर	वरिष्ठ सहायक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	13.03.57	एडीपी बांरा	प्रथम बार
19.	श्री शान्तिलाल धोबी	सहायक प्रशा. अधिकारी, जल संसाधन विभाग	02.05.57	एडीपी भीलवाडा	प्रथम बार
20.	श्री बालू राम माली	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन विभाग	25.06.59	एडीपी भीलवाडा	प्रथम बार
21.	श्री कैलाश चन्द गारु	सहायक प्रशा. अधिकारी, जल संसाधन विभाग	12.05.57	एडीपी भीलवाडा	प्रथम बार
22.	श्री बिशन लाल	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन विभाग	20.08.58	एडीपी भरतपुर	प्रथम बार
23.	श्री दिनेश कुमार माथुर	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन विभाग	14.9.58	एडीपी जयपुर शहर द्वितीय	प्रथम बार
24.	श्री तुलसी लाल गौड	सहा. प्रशा. अधिकारी, रसद विभाग	06.10.57	एडीपी डूंगरपुर	प्रथम बार
25.	श्री ओम प्रकाश शर्मा	सहा. प्रशा. अधिकारी, राजस्व विभाग	05.07.55	एडीपी टोंक	प्रथम बार
26.	श्री ब्रहमा नन्द शर्मा	कनिष्ठ सहायक, कालेज शिक्षा विभाग	02.05.56	एडीपी हनुमानगढ	प्रथम बार
27.	श्री मदन लाल पंवार	सीनियर रीडर, न्याय विभाग	24.09.56	एडीपी हनुमानगढ	प्रथम बार
28.	श्री ओमप्रकाश सिंह	सहा. प्रशा. अधिकारी, जिला कलेक्टर विभाग	01.07.58	एडीपी हनुमानगढ	प्रथम बार
29.	श्री कजोडमल महावर	कनिष्ठ सहायक, शिक्षा विभाग	10.05.58	एडीपी बांरा	प्रथम बार
30.	श्री देवकरण नराणिया	कनिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	21.06.58	एडीपी कोटा	प्रथम बार
31.	श्री अरुण कुमार राठौड	प्रशासनिक अधिकारी, रा.रा.प.प.निगम विभाग	04.02.58	एडीपी अजमेर	प्रथम बार
32.	श्री हकमा राम माली	वरिष्ठ सहायक, न्याय विभाग	01.07.56	एडीपी पाली	प्रथम बार
33.	श्री जगदीश चन्द सिंसोदिया	सहा. प्रशा. अधिकारी, वन विभाग	12.02.56	एडीपी पाली	प्रथम बार
34.	श्री मूल चन्द शर्मा	कनिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	10.03.58	एडीपी जोधपुर	प्रथम बार
35.	श्री रुस्तम अली	भू अभिलेख निरीक्षक, राजस्व विभाग	25.01.57	एडीपी टोंक	द्वितीय बार
36.	श्री सांवर मल मंडरावलिया	वरिष्ठ सहायक, शिक्षा विभाग	01.08.54	एडीपी अजमेर	द्वितीय बार
37.	श्रीमती नीता मुखर्जी	सहा. प्रशा. अधिकारी, अभियोजन विभाग	06.08.57	एडीपी जयपुर शहर द्वितीय	द्वितीय बार
38.	श्री धन कुमार जैन	सहा. प्रशा. अधिकारी, अभियोजन विभाग	04.07.57	अभियोजन निदेशालय	द्वितीय बार
39.	श्री अशोक कुमार जैन	सहा. निदे. राज्य बीमा विभाग	19.03.55	एडीपी जयपुर शहर द्वितीय	द्वितीय बार
40.	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	कनिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	01.10.57	एडीपी जयपुर शहर द्वितीय	द्वितीय बार
41.	श्री नारायण लाल	कनिष्ठ सहायक, जिला परिषद पाली	15.01.56	एडीपी पाली	द्वितीय बार


 163

42.	श्री जबर सिंह	कनिष्ठ सहायक, न्याय विभाग	01.12.59	एडीपी पाली	द्वितीय बार
43.	श्री कैलाश चन्द शर्मा	सीनियर रीडर, न्याय विभाग	25.07.57	एडीपी चित्तोडगढ़	द्वितीय बार
44.	श्री मनोहर लाल बैरवा	वरिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	25.08.57	एडीपी जयपुर शहर प्रथम	द्वितीय बार
45.	श्री गोरी शंकर	कनिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	01.07.57	एडीपी श्रीगंगानगर	द्वितीय बार

- 1 कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.॥/94 दिनांक 08.02.2018 के क्रम में नियुक्ति आदेश संबन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेगा।
- 2 पुनः नियुक्त अधिकारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में राशि रुपये 500/- के स्टाम्प पर अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेंगे।
- 3 चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेंगे।
- 4 सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिए निर्देशित कर सकता है।
- 5 समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यक्षीन होगी।
- 6 पुनः नियुक्ति सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों की सेवा उक्त आदेश के जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहले हो की अवधि तक दी जाती है संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
- 7 इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014-00-114-02-01-(01) संवेतन व्यय (स्टेट फण्ड) से प्रभार्य होगा।


यह आदेश गृह (ग्रुप-10) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी. सं. RAJ-E 00147/H-10/19 दिनांक 21.01.2019 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत्त कार्मिक को वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें, तथा आपके कार्यालय से सम्बन्धित संविदा कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात उपस्थिति की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।


(रमेश कुमार शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अनुभागाधिकारी गृह(ग्रुप-10) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
3. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन,
4. रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर